भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 738

जिसका उत्तर 21.07.2022 को दिया जाना है

वाहनों का बीएच श्रृंखला पंजीकरण

738. श्री प्रताप सिम्हा:

श्री बी. वाई राघवेन्द्र:

डॉ. उमेश जी. जाधव:

श्री एस. मुनिस्वामी:

डॉ. जयसिद्देश्वर शिवाचार्य स्वामीजी:

श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा:

श्री तेजस्वी सूर्या:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वाहनों के भारत (बीएच) श्रृंखला पंजीकरण शुरू करने के उद्देश्य क्या हैं;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इसे अपनाया है और कुछ अन्य राज्यों द्वारा इसका विरोध करने के क्या कारण हैं;

(ग) कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में बीएच श्रृंखला के तहत पंजीकृत वाहनों की संख्या कितनी है;

(घ) इन दो राज्यों में केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के बीच बीएच श्रृंखला के वाहनों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार का विचार निजी संगठनों के कर्मचारियों के लिए भी बीएच सीरीज पंजीकरण देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सा.का.नि. 594 (अ), दिनांक 26.08.2021 के तहत भारत (बीएच) श्रृंखला पंजीकरण लागू किया है, जिसके कार्यान्वयन की तारीख 15.09.2021 है। इसे केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और 4 या अधिक राज्यों में कार्यालयों वाली निजी क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों के स्वामित्व वाले वाहनों के हस्तांतरण में सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू किया गया है। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों के साथ स्टेशन स्थानांतरण होता है और इस तरह के आवा-जाही से ऐसे कर्मचारियों के मन में वर्तमान राज्य से एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्राप्त करने, नए राज्य में नए पंजीकरण चिह्न प्राप्त करने और एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण होने पर पिछले राज्य से करों की राशि वापस करने के लिए आवेदन के संबंध में असुविधा की भावना उत्पन्न होती है। एक पंजीकरण चिह्न को पूरे देश में वैध कर दिया गया है। बीएच श्रृंखला के तहत पंजीकृत वाहन के मालिक को हर दो साल में या उसके गुणकों में वाहन कर का भुगतान यथा अधिसूचित समान दर से 25% अधिक उस राज्य को करना होता है, जहां वह उस अवधि के दौरान स्थित होता है। ऐसे वाहनों के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए, बीएच श्रृंखला न केवल

नागरिकों के लिए, बल्कि ऐसे वाहन हस्तांतरण का काम देखने वाले आरटीओ के बोझ को कम करने में भी सहायक है।

(ख) निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने बीएच श्रृंखला पंजीकरण शुरू कर दिया है:

1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
2. अरुणाचल प्रदेश
3. असम
4. बिहार
5. चंडीगढ़
6. दिल्ली
7. गोवा
8. गुजरात
9. हिमाचल प्रदेश
10. जम्मू और कश्मीर
11. कर्नाटक
12. महाराष्ट्र
13. मणिपुर
14. मेघालय
15. मिजोरम
16. नागालैंड
17. ओडिशा
18. पुद्दुचेरी
19. राजस्थान
20. सिक्किम
21. त्रिपुरा
22. दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव
23. उत्तर प्रदेश
24. पश्चिम बंगाल

केरल राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने 2021 की रिट याचिका डब्ल्यूपी(सी) संख्या 30887 (एर्नाकुलम में केरल के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष केरल राज्य और अन्य बनाम मैरीसदन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में दायर 2022 की रिट अपील संख्या 602 और एर्नाकुलम में केरल के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष केरल राज्य के सचिव (परिवहन) और अन्य बनाम सत्येंद्र कुमार झा और अन्य के रूप में दायर 2022 की रिट अपील संख्या 604 के भाग के रूप में प्राप्त) के जवाब में एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि यदि राज्य बीएच श्रृंखला पंजीकरण लागू करता है, तो इससे राज्य के खजाने को वित्तीय नुकसान होगा क्योंकि मालिक अपने

विवेक पर 15 साल या 2 साल का एकमुश्त कर चुका सकता है। तथापि, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दायर किए जाने के लिए एक विस्तृत प्रतिक्रिया प्रस्तुत की गई है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि मोटर वाहन के मालिक को दो साल की अवधि के लिए या इसके गुणकों में, 25% अधिक दर पर मोटर वाहन कर का भुगतान करना होगा। इस राशि को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऑनलाइन प्रेषित किया जा रहा है। जिससे सरकारी खजाने को कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है। यह नागरिक को वर्तमान राज्य से एनओसी प्राप्त करने, नए राज्य में नए पंजीकरण चिह्न प्राप्त करने और एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण पर पिछले राज्य से कर की राशि वापस लेने के लिए आवेदन के संबंध में बोझिल प्रक्रिया से बचने में सक्षम बनाता है। यह सुविधा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सरकारी स्वायत्त निकायों या संगठनों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों (जो चार या अधिक विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यालयों वाले संगठन में कार्यरत हैं) के लिए उपलब्ध है।

(ग) 15 जुलाई, 2022 को कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में बीएच श्रृंखला के तहत पंजीकृत वाहनों की संख्या इस प्रकार है:

राज्य	**बीएच श्रृंखला के तहत पंजीकृत वाहनों की संख्या**
कर्नाटक	2063
महाराष्ट्र	6220

(घ) कर्नाटक और महाराष्ट्र में बीएच श्रृंखला के वाहनों का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**केंद्र सरकार के कर्मचारी**	**राज्य सरकार के कर्मचारी**	**रक्षाकर्मी**	**सरकारी उपक्रम कंपनी के कर्मचारी**	**बैंक के कर्मचारी**	**कंपनी (चार से अधिक राज्यों में कार्यालय)**	**कुल जोड़**
1	कर्नाटक	1,067	17	330	99	542	8	2,063
2	महाराष्ट्र	1,290	90	758	267	1,060	2,755	6,220

नोट: दिया गया विवरण केंद्रीकृत वाहन 4 पोर्टल के अनुसार डिजीटल वाहन रिकॉर्ड के लिए हैं।

(ड.) निजी क्षेत्र की कंपनियों में काम करने वाला कोई भी नागरिक जिसका कार्यालय 4 या अधिक राज्यों में है, बीएच श्रृंखला पंजीकरण चिह्न के लिए आवेदन कर सकता है।

*****